

कार्यालय: नगर पंचायत, बनमनखी, पूर्णियाँ

फुटपाथ विक्रेता चार्टर

पथ विक्रेता (जीविका संरक्षण और पथ विक्रय विनियमन) अधिनियम 2014, की धारा 26 के अंतर्गत नगर विक्रय समिति बनमनखी नगर पंचायत द्वारा पथ विक्रेता से संबंधित क्रियाकलापों को विनिर्दिष्ट समय सीमा के भीतर किए जाने हैं।

क्र० सं०	सेवाएँ	अपेक्षित दस्तावेज (प्रतिलिपि)	फीस	समयवधि	अधिकृत अधिकारी	अधिकृत अधिकारी जो सेवा में विलंब या गड़बड़ी हेतु संपर्क किये जा सकें
1	2	3	4	5	6	7
1	पंजीकरण	1. परिवार का फोटो 2. फुटपाथ विक्रेता का फोटो 3. आधार कार्ड की प्रतिलिपि 4. मोबाइल App के द्वारा GIS आधारित सर्वेक्षण	निशुल्क	7 दिन	नगर मिशन प्रबन्धक 1.श्री नलिन भूषण (नगर मिशन प्रबंधक) 2.श्याम सागर (सामुदायिक संगठक)	कार्यपालक पदाधिकारी नगर पंचायत बनमनखी
2	फुटपाथ विक्रेता के पहचान पत्र का जारी करने हेतु	1. SULM वेबसाइट पर सर्वेक्षण की उपलब्ध विवरणी।	निशुल्क	सर्वेक्षण में चिन्हित फुटपाथ विक्रेताओं को सर्वेक्षण की तिथि से छः महीने की अधिकतम अवधि के भीतर निर्गत किया	नगर मिशन प्रबन्धक 1.श्री नलिन भूषण (नगर मिशन प्रबंधक)	कार्यपालक पदाधिकारी नगर पंचायत बनमनखी
3	विक्रय प्रमाण पत्र का जारी करने हेतु	1. SULM वेबसाइट पर सर्वेक्षण की उपलब्ध विवरणी।	निशुल्क	सर्वेक्षण में चिन्हित फुटपाथ विक्रेताओं को सर्वेक्षण की तिथि से छः महीने की अधिकतम अवधि के भीतर निर्गत किया जाना है।	नगर मिशन प्रबन्धक 1.श्री नलिन भूषण (नगर मिशन प्रबंधक)	कार्यपालक पदाधिकारी नगर पंचायत बनमनखी

*Dakin*

*Ant*

4	प्रत्येक पाँच वर्षों पर फुटपाथ विक्रेता के पहचान पत्र अथवा विक्रय पहचान/प्रमाण पत्र नवीकरण हेतु	1. पुराना निर्गत फुटपाथ विक्रेता के पहचान पत्र अथवा विक्रय प्रमाण पत्र एवं नवीनतम सर्वे द्वारा किए गए पंजीकरण के आधार पर	विक्रय प्रमाण पत्र का नवीकरण हेतु-500/रु.	दो महीने के अंदर	नगर मिशन प्रबन्धक 1.श्री नलिन भूषण (नगर मिशन प्रबंधक)	कार्यपालक पदाधिकारी नगर पंचायत बनमनखी
5	फुटपाथ विक्रेता के पहचान पत्र अथवा विक्रय प्रमाण पत्र duplicate निर्गत करने हेतु	1. नगर निकाय कार्यालय में उपलब्ध डाटा/दस्तावेज के आधार पर	50/रु.	7 दिन	नगर मिशन प्रबन्धक 1.श्री नलिन भूषण (नगर मिशन प्रबंधक)	कार्यपालक पदाधिकारी नगर पंचायत बनमनखी

*Wahin*  
अधिकृत अधिकारी  
-सह-  
नगर मिशन प्रबंधक  
नगर पंचायत बनमनखी

*Wahin*  
अध्यक्ष,  
नगर विक्रय समिति,  
-सह-  
नगर कार्यपालक पदाधिकारी  
नगर पंचायत बनमनखी

नगर विकास एवं  
20 द्वारा E-Proc 2

डाक की सम्पूर्ण राशि एवं राजस्व भूमि सुधार, विभाग के पत्रांक- 09/0सै0 1 बेतिया- 77/2015-509(9) रा10 दिनांक-17. 08.2015 के आलोक में सैरात बन्दोवस्ती में लगने वाले निबंधन शुल्क 5% एवं भारतीय स्टाम्प शुल्क अधिनियम 1899 के

आवास विभाग,  
2.0 का Go-Live  
में नए टेंडर का